सार्वजनिक सूचना

निष्क्रिय/अपरिचालित खातों को बंद करने हेतु सार्वजनिक सूचना

बैंक ने देखा है कि कई खातों में पिछले 3 वर्षों से ग्राहक द्वारा कोई परिचालन नहीं किया जा रहा है और इन खातों में कोई बैलेंस नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन खातों का दुरुपयोग न हो, बैंक ने अंतर्निहित जोखिम को रोकने के लिए ऐसे खातों को बंद करने का निर्णय लिया है।

इसलिए समाचार पत्र और बैंक वेबसाइट पर दिनांक 01.05.2024, 16.05.2024 और 24.05.2024 को और सोशल मीडिया पर दिनांक 06.05.2024, 16.05.2024 और 24.05.2024 को ऐसे सभी खाताधारकों को नोटिस दिया गया था, कि जिन्होंने 30.04.2024 तक 3 वर्षों से अधिक समय से अपने खाते का परिचालन नहीं किया है तथा जिनके खाते में शून्य बैलेंस या कोई बैलेंस नहीं है, ऐसे सभी खाते पहली नोटिस की तारीख से एक महीने या उसके बाद बिना किसी अगली सूचना के बंद कर दिए जाएंगे, जब तक कि ग्राहक द्वारा उन्हें संबंधित शाखा में केवाईसी दस्तावेज जमा करके सक्रिय नहीं करा लिया जाता।

ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए, बैंक ने समय सीमा को 15 जून 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसे सभी खाताधारकों से पुनः अनुरोध है कि वे ऊपर दी गई सूचना के अनुसार खातों को फिर से सक्रिय करा लें ताकि वे बैंक की निर्बाध बैंकिंग सेवाओं का आनंद ले सकें। ये खाते 16.06.2024 को या उसके बाद बिना किसी अगली सूचना के बंद कर दिए जाएंगे, अगर ग्राहक द्वारा उन्हें संबंधित शाखा में दिनांक 15.06.2024 तक केवाईसी दस्तावेज जमा करके सक्रिय नहीं करा लिया जाता।

कृपया ध्यान दें कि डीमैट खातों से जुड़े खाते, सक्रिय स्थायी अनुदेश वाले लॉकर, 25 वर्ष से कम आयु वाले ग्राहक के छात्र खाते, नाबालिगों के खाते, विशिष्ट उद्देश्यों जैसे पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई/एसएसवाई/एपीवाई, डीबीटी के लिए खोले गए खाते तथा न्यायालय, आयकर विभाग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के आदेश द्वारा फ्रीज किए गए खाते इस प्रक्रिया के अंतर्गत बंद नहीं किए जाएंगे।

आपसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए अपनी शाखा से संपर्क करें।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक!
punjab national bank ...the name you can BANK upon!